


फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

प्रार्थी श्रवणी बनाम रामनारायण व अन्य अप्रार्थीगण
 केस संख्या 153/24 (2024/ online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.08.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सनातन कुमार पारीक ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना-पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि का मौके कि वास्तविक सिमायें क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये विवादित आराजी खसरा नम्बर 1, 312/205, 223, 269, 163, 213, 241, 243, 212, 216, 209, 217, 59, 12, 150, 204, कुल खसरा 16 वाके ग्राम कानडवास पटवार हल्का बूडथल भू-अभि0.नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बरसी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी दिनांक 12/09/24 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। वकील प्रार्थी तलबाना आज ही पेश करें। बाद जॉच सम्मन अप्रार्थी को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावे। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, सम्मन भेजकर डाक रसीद पेश करें। पत्रावली पुनः दिनांक 12/09/24 को पेश हो।</p>	<p>888 6/9/24</p>
		<p>उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर</p>	
	9/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। कानोता द्वारा कानडवास/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही। पत्रावली दिनांक 8/10/24 को पेश हो</p>	
	26/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 3 के तमोल उपस्थित अप्रार्थी सं. 2 का नोमिन सूची पत्र के अन्तर्गत में तलब पत्रावली पेशी प्रार्थी को उपस्थित</p>	

क्रम संख्या	दिनांक आवाज या कार्यवाही	अवधि विवरण क्या है	विवरण विवरण
	16 ⁵ / ₂₄	<p>पत्रावली भेजा हुआ। P.O. का दौरे/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं हो जा सकी। पत्रावली दिनांक 13/6/25 को भेजा गया है।</p>	
	13 ⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली भेजा हुआ। वकील पार्सी व अपारसी से। कंडा के वकील उप-भूल नड के साथ पत्रावली दिनांक 17-6-25 को भेजा है।</p>	
	17 ⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली भेजा हुआ। P.O. का दौरे/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं हो जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/6/25 को भेजा गया है।</p>	
	23 ⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली भेजा हुआ। P.O. का दौरे/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं हो जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/7/25 को भेजा गया है।</p>	
7.7.25		<p>पत्रावली प्र. पत्र तलब किए जाने आज पत्रावली भेजा होने पर तलब पर ही जारी। प्रारिण विप उपस्थिता प्रारिण की पहिचान वकील की अवघेय पारिक ने की है वकील प्रारिण ने पारिक पत्र कागत किशो के जाने प्र. पत्र आयापि निषेधाज्ञा का पत्रा विप उक्त पारिक पत्र पर वकील प्रारिण व प्रारिण को प्रजा गया। पत्रावली का आवलोमने व वकील प्रारिण को उक्त प्रारिक पत्र पर मुने दे पख्यात न्याय हित से प्रारिक पत्र कागत T9 के जो को ही व्याप किया जाकर प्रारिक पत्र आयापि</p>	<p>अ.मि.  अशोक पुत्र बालू लाल जात बागाडा बाधमन निवासी-पल्हा त. सापसू Digitized by me 13/7/25</p>

कम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

निषेधाज्ञा के निष्पादन के अन्तर्गत
 की जाती है। प्र-पत्र 19 निष्पादन के अन्तर्गत
 होने से उक्त प्र-पत्र के अन्तर्गत चलाने
 का कोई आदेश नहीं है अतः प्र-पत्र
 का प्र-पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा का
 निष्पादन नहीं किया जायेगा।
 27-8-14 के अन्तर्गत अन्तर्गत
 आदेश प्र-पत्र धुप होने से निरस्त
 किया जाता है। प्र-पत्र नम्बर से
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 है।